



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग  
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :- 2092/10(ल/प) 70  
सेवा में ,

दिनांक :- 6 / 7 / 2016

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वनप्रभाग  
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग में RO द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 4794/12-1 दिनांक 13 जून, 2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में RO द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

| क्र. सं. | लगायी गयी आपत्तियाँ   | आपत्तियों का निराकरण   |
|----------|---|--|
| 1        | 2   | 3  |
| 1        | Short Narrative of the proposal is not descriptive.   | पार्ट-1 के क्रम संख्या A-1 (iii) में Short Narrative का विवरण भर दिया गया है।  |
| 2        | Total period for which forest land to be diverted is not mentioned.   | पार्ट-1 के क्रम संख्या A-1 (x) में Total period of forest land 99 Year mention कर दिया गया है।   |
| 3        | The Details of applicant and the one who is authorized to file the application do not match.  | पार्ट-1 के क्रम संख्या A-3 (xvii) में नया Authorized Certificate अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-1 पेज 2)   |
| 4        | The proposal mentions that area to be diverted is 1.307 ha while in the FRA the area mentions is 0.987 ha need necessary correction.  | पार्ट-1 के क्रम संख्या K (a) में FRA संशोधित कर diverted area 1.307 Mention कर दिया गया है। (संलग्नक-2 पेज 3 से 8)   |
| 5        | The additional information provided in online Part-I is unable to open.   | पार्ट-1 के Additional Information में अलग-अलग फाइल बनाकर अपलोड कर दी गयी है।   |
| 6        | Instead of non encumbrance certificate for the forest land, site suitability certificate is attached in Part-I.                       | पार्ट-1 के क्रम संख्या L-(iv)(h) में encumbrance certificate for the forest land, site suitability certificate attached कर दिया गया है। (संलग्नक-4 पेज 11 से 14) |
| 7        | Compensatory afforestation scheme is prepared for an area of 0.987 ha instead of double the area propose for diversion i.e. 2.614 ha. | Compensatory afforestation scheme से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों को संशोधित कर double area 2.614 ha कर दिया गया है। (संलग्नक-3 पेज 9 से 10)                        |
| 8        | CA is proposed on two patches but in Part-I only one patch is mentioned of 2 ha. Detail.  | पार्ट-1 के क्रम संख्या L-(iv) में 2.614 ha के लिए two patch mention कर दिया गया है।  |

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- प्रपत्र।

(जे.पी.रतूड़ी)  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

4.6

FORM-I  
(for Linear Projects)

Annexure-I

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : / /2014

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.307** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for **Construction of Tefna kandara Sonla kandara via chatingyala-koti-nauli-hindoli motor road in district chamoli** falls within jurisdiction of Kandara Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **1.307** Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it.
- The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

  
Sanjay Kumar  
District Registrar  
Chamoli (Uttarakhand)

(1.6 /


Annexure-I

**Office of the District Collector,  
District-Chamoli (Uttarakhand)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006**

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.09.2015. At 14.09.2015 at Chamoli in which the application claiming rights in village Thapli of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.907 Hectares for the **Construction of Tefna kandara, Sonla kandara via chatingyala-koti-nauli-hindoli motor road** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

  
**Sanjay Kumar**  
District Magistrate -cum-  
Chairman, District Level  
Committee, Chamoli





116

प्रपत्र-23.2  
परियोजना का नाम :- मा. मुख्यालय जी की घोषणा के अंतर्गत जनजात  
- टोमाली के विकासकृत्य कार्यक्रमा में राष्ट्रीय राजसिंह मार्ग  
तेफला कण्डार मोटर मार्ग के किमी. 3.00 से होते हुए सोनला  
कण्डार मोटर मार्ग के किमी. 16.00 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण,  
कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण-पत्र  
उपखण्डस्तरीय समिति

उपखण्ड कपीपत्राग परिक्षेत्र के अन्तर्गत तेफला कण्डार के किमी. 3 से सोनला कण्डार के  
किमी. 16 तक मोटर मार्ग (सूचना) हे 0 आरक्षित वन भूमि 0.570 हे 0 सिविल एवं सोयम वनभूमि  
0.430 हे 0 वनपंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.000 हे 0 वनभूमि ) का लो. वि. वि.  
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य  
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
उपखण्डस्तरीय समिति, (तहसील तापी प्रकाश) की दिनांक 13-07-15 को सम्पन्न  
बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की  
बैठक श्री किशोर सिंह द्वारा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्डस्तरीय वनअधिकार  
समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति  
निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशोर सिंह उपजिलाधिकारी  अध्यक्ष
- 2- श्री शिवानन्द सुता उपप्रभागीय वनाधिकारी  सदस्य
- 3- श्री मोहन सिंह अण्डारी सहायक समाजकल्याण अधिकारी  सदस्य
- 4- श्री आदिपाला सिंह एनपी वनाधिकार समिति सदस्य  सदस्य

श्रीमती सुशोभा रावत वनाधिकार समिति सदस्य  सदस्य

श्री मालविका कुमारी वनाधिकार समिति सदस्य  सदस्य

तेफना नख्का मो अपी के मिमी डी प्रोपला उपनि विमी / ह.तन को.कार. परियोजना हेतु ... 1307

हे0 वनभूमि ..... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ..... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करत हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, ..... परिक्षेत्र के अन्तर्गत ..... के विमी डी प्रोपला + 500 ..... परियोजना के निर्माण हेतु ... 1307 हे0 वनभूमि ..... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अक्षयक्ष  
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति

तहसील- .....  
जनपद ..... 1307

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी / अक्षयक्ष  
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति  
तहसील- .....  
जनपद ..... 1307



## प्रपत्र-23.1

दिनांक ..... को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत .....तापडा.....


| क्रमांक | ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर       |
|---------|---|-----------------|
| 1-      | श्री बलवीर सिंह रावत                            | Balwinder       |
| 2-      | श्री जयसिंह रावत                                | Jay Singh       |
| 3-      | श्री चन्द्रसिंह रावत                            | Chand Singh     |
| 4-      | श्री मनोज सिंह रावत                             | Manoj           |
| 5-      | श्री मोहन सिंह रावत                             | Mohan           |
| 6-      | श्री पून सिंह रावत                              | Poon Singh      |
| 7-      | श्री कुमर सिंह रावत                             | Kumar Singh     |
| 8-      | श्री गिरिश चन्द्र पन्त                          | Girish Pant     |
| 9-      | श्री पेम पन्त                                   | Pem Pant        |
| 10-     | श्री जगदीश प्रसाद पन्त                          | Jagdish Pant    |
| 11-     | श्री धनश्याम पन्त                               | Dhanashyam Pant |
| 12-     | श्री ललीता प्रसाद पन्त                          | Lalita Pant     |
| 13-     | श्री कैलाश चन्द्र                               | Kailash Pant    |
| 14-     | श्री मनोज पन्त                                  | Manoj Pant      |
| 15-     | हंभात सिंह                                      | Hambhat Singh   |
| 16-     | मंजू देवी                                       | Manju Devi      |
| 17-     | कुंवर सिंह रावत                                 | Kunwar Singh    |
| 18-     | रघुनाथ सिंह                                     | Raghunath Singh |

ह0/-  
ग्रामप्रधान

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परियोजना का नाम:—मा.मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयागमें शहीदभगत सिंह मार्ग(तेफना—कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी० 3.00 से चटिंग्याला—कोटी,नौली—हिण्डोली होते हुये सोनला—कण्डारा मोटरमार्ग के किमी० 16.00 तक मोटरमार्ग का नवनिर्माण।

उपरोक्त योजना हेतु वनविभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वनमंत्रालय की सौद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 1458 एवं 1456/1549 क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

  
अधिसूचारी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

  
जिलाधिकारी  
चमोली

परियोजना का नाम:-मा.मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग(तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी० 3.00 से चटिंग्याला-कोटी,नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के किमी० 16.00 तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

**NZA** श्रेणी 3-ड अन्य कृषि योग्य बंजरभूमि

| क्र०सं० | ग्राम का नाम   | खसरा नम्बर | वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल(हे० मे) |
|---------|----------------|------------|--|
| 1       | सुनाली         | 1458       | 1.600 हे०                                  |
|         |                | 1456/1549  | 1.014 हे०                                  |
|         |                |            |  |
|         |                |            |  |
|         | सम्पूर्ण योग:- |            | 2.614 हे०                                  |

*[Signature]*  
अमीन  
लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

*[Signature]*  
कमिष्टअभियन्ता  
प्रा० ख० लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

*[Signature]*  
सहायकअभियन्ता  
प्रा० ख० लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

*[Signature]*  
अधिसहायीअभियन्ता  
प्रा० ख० लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

*[Signature]*  
रा०का०  
चमोली

*[Signature]*  
16.6.16

*[Signature]*  
जिला अधिकारी  
कर्णप्रयाग


*[Signature]*  
उप जिलाधिकारी  
कर्णप्रयाग  
17.6.16


( २१० )

परियोजना का नाम:- मा. मुख्य मंत्री की घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के कि.मी. 3 से चटिग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी है। वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

 ह०/-  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बदीनाथ वन प्रभाग, गंगेश्वर



शम - सुमाली  
पट्टी - वसोली रानी  
पट्ट - कपिलसुता  
पिछा - रामर

पैमाना ३२" = १ मीटर  
1957



*[Signature]*  
राम सुपाने  
मंगरोली

*[Signature]*  
नरसिंहदास  
पट्टी (काठ)  
कपिलसुता (मंगरोली)

*[Signature]*  
उपनिवेशिका  
कपिलसुता (मंगरोली)

